संकलन : अनामिका सिंह

माननीय बी. पी. मंडल

25.08.1918 - 13.04.1982

(कृपया इसका प्रिंट निकलवा कर पढ़ें और पढ़वाएं)

आभार : प्रो. सूरज प्रसाद मंडल;
द शुद्र (यूट्यूब चैनल)
संकलन : अनामिका सिंह
7355175480

बंधुओं,

25 अगस्त : सामाजिक न्याय के प्रणेता मा. बी पी मंडल की जयन्ती पर।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे, मा. बी पी मंडल की जयन्ती बिहार सरकार के राजकीय समारोह के तौर पर उनके पैतृक गाँव मुरहो (मधेपुरा, बिहार) और राजधानी पटना में मनाया जाता है।

माननीय बिन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल का जन्म 25 अगस्त 1918 को बनारस, यूपी, में हुआ था। वे बिहार के आधुनिक इतिहास में पिछड़े वर्ग के, और यादव समाज के, संभवतः प्रथम क्रन्तिकारी व्यकित्व, मुरहो एस्टेट के ज़मींदार होते हुए भी, स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय और कांग्रेस पार्टी में बिहार से स्थापना सदस्यों में से एक, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, बिपिन चन्द्र पाल, सच्चिदानंद सिन्हा जैसे, प्रमुख नेताओं के साथी थे। 1907 से 1918 तक बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी और ए.आई.सी.सी के बिहार से निर्वाचित सदस्य थे। 1911 में गोप जातीय महासभा (बाद में यादव महासभा) के संस्थापक मा. रासबिहारी लाल मंडल के सबसे छोटे पुत्र थे। रासबिहारी बाबू यादवों के लिए जनेऊ धारण आन्दोलन, और 1917 में मोंटेग-चेल्म्फोर्ड समिति के समक्ष, यादवों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए, वायसरॉय चेल्म्फोर्ड को परंपरागत 'सलामी 'देने की जगह, उनसे हाथ मिलाया था। और यादवों के लिए नए राजनैतिक सुधारों में उचित स्थान, और सेना में यादवों के लिए रेजिमेंट की मांग की थी। 1911 में सम्राट जार्ज पंचम के भारत में ताजपोशी के दरबार में, प्रतिष्टित जगह से शामिल होकर, उन अँग्रेज़ अफसरों को भी दंग कर दिया था, जिनके विरुद्ध वे वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।1917 में कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में, आपने

सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। कलकत्ता से छपने वाली तत्कालीन प्रतिष्टित अंग्रेजी दैनिक, अमृता बाज़ार पत्रिका ने, मा. रासबिहारी लाल मंडल की अदम्य साहस और अभूतपूर्व निर्भीकता की प्रशंसा की। और अनेक लेख और सम्पादकीय लिखे। दरभंगा महराज ने उन्हें 'मिथिला का शेर' कह कर संबोधित किया था। 27 अप्रैल, 1908 के सम्पादकीय में अमृत बाज़ार पत्रिका ने कलकत्ता उच्च न्यायलय के उस आदेश पर विस्तृत टिप्पणी की थी, जिसमें भागलपुर के जिला पदाधिकारी लायल के रासबिहारी बाबू के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यवहार को देखते हुए, उनके विरुद्ध सभी मामलों पर संज्ञान लिया। और उन मामलों को रासबिहारी बाबू के वकील मिस्टर जैक्सन के निवेदन पर दरभंगा हस्तांतरित कर दिया था।

1918 में बनारस में 51 वर्ष की आयु में जहां मा. रासबिहारी बाबू का निधन हुआ, वहीँ पर मा. बी. पी. मंडल का जन्म हुआ। रासबिहारी लाल मंडल के बड़े पुत्र भुब्नेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जो 1924 में बिहार-उड़ीसा विधान परिषद् के सदस्य थे। तथा 1948 में अपने मृत्यु तक भागलपुर लोकल बोर्ड (जिला परिषद्) के अध्यक्ष थे। दूसरे पुत्र कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, आज़ादी की लड़ाई में जय प्रकाश बाबू आदि के साथ गिरफ्तार हुए थे, और हजारीबाग सेन्ट्रल जेल में रहे थे। और 1937 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य चुने गए थे।

कहते हैं कि, एक समय कलकत्ता में मा. रासबिहारी बाबू से राजनैतिक रूप से जुड़े प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कारण, मधेपुरा विधान सभा से 1952 के प्रथम चुनाव में मा. बी. पी. मंडल काँग्रेस के प्रत्याशी बने, और 1952 में बहुत कम उम्र में मधेपुरा विधान सभा से सदस्य चुने गए। 1962 में पुनः चुने गए। और 1967 में मधेपुरा से लोकसभा सदस्य चुने गए। 1965 में मधेपुरा क्षेत्र के पामा गाँव में, दलितों पर सवर्णों एवं पुलिस द्वारा अत्याचार पर वे विधानसभा में गरजते हुए, कांग्रेस को छोड़ सोशिअलिस्ट पार्टी में आ गये थे। बड़े नाटकीय राजनैतिक उतार-चढ़ाव के बाद 1 फ़रवरी, 1968 में बिहार के पहले यादव मुख्यमंत्री बने। इसके लिए उन्होंने सतीश बाबू को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनवाया था। अतः सतीश बाबू को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाने वाले मा. बी. पी. मंडल ही थे। मा. बी. पी. मंडल 6 महीने तक सांसद थे। और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी थे। वे राम मनोहर लोहिया और श्रीमती इंदिरा गाँधी की इच्छा के विरुद्ध, बिहार में पहले पिछड़े समाजके मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। परन्तु विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद, तत्कालीन राज्यपाल अयंगर साहेब, रांची

जाकर बैठ गए। और मंडल जी को शपथ दिलाने से इस आधार पर इंकार कर दिया, कि बी. पी. मंडल बिहार में बिना किसी सदन के सदस्य बने 6 महीने तक मंत्री रह चुके है। परन्तु मा. बी. पी. मंडल ने राज्यपाल को चुनौती दी, और इस परिस्थिति से निकलने के लिए तय किया गया, की सतीश बाबू एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन कर इस्तीफा देंगे। जिससे बी. पी. मंडल के मुख्यमंत्री बनने में, राज्यपाल द्वारा खड़ी की गई अड़चन दूर की जा सके।

अब इंदिरा गाँधी और लोहिया जी सभी मंडल जी के व्यक्तित्व से डरते थे और नहीं चाहते थे, कि सतीश बाबू इस्तीफा दें। परन्तु सतीश बाबू ने मा. बी. पी. मंडल का ही साथ दिया।

आगे की कहानी और दिलचस्प है। उन्हीं दिनों बरौनी रिफायनरी से तेल का रिसाव गंगा में हो गया और उसमें आग लग गयी। बिहार विधान सभा में पंडित बिनोदानंद झा ने कहा, कि "शुद्र मुख्यमंत्री बना है, तो गंगा में आग ही लगेगी!"

इस प्रकरण का साक्ष्य तो बिहार विधानसभा के रिकार्ड में है। बात पहले बिहार विधान सभा की है, जब मा. बी. पी. मंडल ने आपत्ति की थी, कि यादवों के लिए विधान सभा में 'ग्वाला' शब्द का प्रयोग किया गया।सभापति सहित कई सदस्यों ने कहा, कि यह असंसदीय कैसे हो सकता है। क्योंकि यह शब्दकोष (Dictionary) में लिखा हुआ है। मंडल जी ने कुछ गालियों का उल्लेख करते हुए कहा, कि ये भी तो शब्दकोष (Dictionary) में है, फिर इन्हें असंसदीय क्यों माना जाता है। सभापति ने मंडल जी की बात मानते हुए, यादवों के लिए 'ग्वाला' शब्द के प्रयोग को असंसदीय मान लिया। लेकिन उन दिनों किन जातिवादी हालातों में बातें हो रही थीं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है।

1968 में उपचुनाव जीत कर पुनः लोकसभा सदस्य बने। 1972 में मधेपुरा विधानसभा से सदस्य चुने गए। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर मधेपुरा लोकसभा से सदस्य बने। 1977 में जनता पार्टी के बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के नाते, लालू प्रसाद को, कर्पूरी ठाकुर और सत्येन्द्र नारायण सिंह के विरोध के बावजूद, छपरा से लोकसभा टिकट मंडल जी ने ही दिया। 1978 में कर्णाटक के चिकमंगलूर से श्रीमती इंदिरा गाँधी के लोकसभा में आने पर जब उनकी सदस्यता रद्द की जा रही थी, तो मंडल जी ने इसका पुरजोर विरोध किया। 1.01.1979 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मा. बी. पी. मंडल को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। जिसकी जिम्मेदारी को मंडल जी ने बखूबी निभाया। इनकी दी गयी रिपोर्ट को लाख कोशिशों के बावजूद सर्वोच्च न्यायलय में ख़ारिज नहीं किया

जा सका। खैर, उसके बाद की घटनाएं तो तात्कालिक इतिहास में दर्ज हैं, और जो हममें से बहुतों को अच्छी तरह से याद हैं।

मा. बी. पी. मंडल जी की मृत्यु 13 अप्रैल.1982 को 63 वर्ष की आयु में हो गयी।

माननीय मंडल जी की जयंती पर उनकी स्मृति को बारम्बार आदरांजली....

प्रोफेसर सूरज प्रसाद मंडल,
दिल्ली विश्वविद्यालय

7 अगस्त 1990, यह वह दिन था जब भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। 7 अगस्त 1990, देश में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई। तत्कालीन वी.पी. सिंह सरकार ने पिछड़ों को शिक्षा और नौकरियों में हिस्सेदारी देने का ऐलान किया, तो आरक्षण विरोधियों ने जबरदस्त विरोध किया।

सवर्ण नौजवानों की भीड़ सड़कों पर निकल आयी...वी.पी. सिंह हाय हाय और मंडल कमीशन मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में कई जगह हिंसक झड़पें हुईं। आरक्षण विरोधी आंदोलन के नेता बने राजीव गोस्वामी ने तो आत्मदाह तक कर डाला। सवर्ण बेरोजगारों की भीड़ को लग रहा था, कि पिछड़ों के लिए नौकरियां आरक्षित होंगी, तो उन्हें कभी नौकरी नहीं मिलेगी।

आजादी के समय ज्यादातर जायदाद जमीदारों के पास थी। और ज्यादातर जमीदार ऊंची जाति से थे। जिनके पास धन होता है वह आसानी से आगे बढ़ जाता है। ऐसा ही हो रहा था। दलित समुदाय के लोग पिछड़ रहे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 29 जनवरी 1953 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इसके पहले अध्यक्ष काका कालेलकर थे। उनकी अगुवाई में लगभग 2 साल के बाद आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। कांग्रेस की सरकारों ने कभी इस पर गंभीरता से अमल करने के बारे में नहीं सोचा।

मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 20 दिसंबर 1978 को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी कि बी.पी. मंडल की अगुवाई में नए आयोग

की घोषणा की। जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक कसौटियों पर तमाम जातियों को परखा।

मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया, कि देश में कुल 3743 पिछड़ी जातियां हैं। जो कि देश की आबादी का लगभग 52% हैं। लेकिन देश में 1931 के बाद से जातिवार जनगणना ही नहीं हुई थी। इसलिए 1931 की जातिवार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही मंडल आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी।

मंडल आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। लेकिन तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी। और इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ चुकीं थीं। एक बार फिर से मंडल आयोग की सिफारिशें सिर्फ फाइल्स में सिमट कर रह गईं।

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को शासन चलाने का अवसर मिला। लेकिन उन्होंने भी कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं की। साल 1989 में देश आम चुनाव के रंग में पूरी तरह रंगा हुआ था। यह वह दौर था जब बोफोर्स घोटाले के दाग से राजीव गांधी का दामन दागदार था। और भ्रष्टाचार देश के सामने एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। पहली बार देश के प्रधानमंत्री को किसी ने सीधे कटघरे में खड़ा किया था। आजादी के बाद पहली बार एक सत्ता 5 साल पूरे होने से पहले ही लड़खड़ा गई थी। जिसे दो तिहाई बहुमत हासिल था। मामला बोफोर्स तोप की खरीद में कमीशन खाने का था, और आरोप लगाने वाले शख्स देश के रक्षा मंत्री वी.पी. सिंह थे।

जनता पार्टी की हार के बाद निराश जनता को वी.पी. सिंह में एक हीरो दिखाई दिया। 1989 के आम चुनाव में विश्वनाथ प्रसाद प्रताप सिंह का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। राजा मांडा के नाम से मशहूर वी.पी. सिंह नौजवानों की उम्मीद बने हुए थे। लोकसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे थे। फतेहपुर में नारा उछला था, "राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है"। इस नारे ने गंगा-यमुना के दोआब में बसे जिलों में ऐसा जादू किया, कि जनता दल ने सभी छह सीटें भारी वोटों के अंतर से जीत ली थीं। फतेहपुर से ही सांसद बने वी.पी. सिंह, बीजेपी से सशर्त और लेफ्ट से बिना किसी शर्त के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बन गए।

वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री बन तो गए थे। लेकिन विरोधी उनकी घेराबंदी करने में लगे हुए थे। जब वी.पी. सिंह के खिलाफ विरोधियों ने चक्रव्यूह रचने शुरू किए, तो उन्होंने अपने विरोधियों को सियासी समीकरणों से चित करने की रणनीति पर काम किया। सिर्फ 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहने वाले वी.पी. सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान कर दिया।

7 अगस्त 1990, तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान संसद में कर दिया। मंडल कमीशन की सिफारिश के मुताबिक पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की बात कही गई। जो पहले से चले आ रहे, अनुसूचित जाति, जनजाति को मिलने वाले 22.5% आरक्षण से अलग था। यानी अब मंडल कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक देश में अनुसूचित जातियों का 15%, अनुसूचित जनजातियों का 7.5% और 27% ओबीसी का आरक्षण लागू होने से, कुल आरक्षण 49.5% हो गया था।

लेकिन क्या आप जानते हैं, कि वी.पी. सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिर्फ दो सिफारिशों को ही लागू किया था। जिसमें शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण की बात थी। जबकि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 13 में कुल 40 प्वाइंट में सिफारिशें की थीं। लेकिन उन्हें लागू ही नहीं किया गया...

1. रिपोर्ट में कहा गया था कि, खुली प्रतिस्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी कैंडीडेट्स को उनके लिए निर्धारित 27% आरक्षण कोटे में ही न डालकर, मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए।
2. ओबीसी आरक्षण सभी स्तरों पर प्रमोशन में भी लागू किया जाए।
3. सरकार से किसी भी तरीके से आर्थिक मदद पाने वाले, निजी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में आरक्षण लागू होना चाहिए।
4. शैक्षणिक व्यवस्था का स्वरूप चरित्र के हिसाब से अभिजात्य है। इसे बदलकर पिछड़े वर्ग की जरूरतों के मुताबिक बनाया जाए।
5. ओबीसी विद्यार्थियों के लिए अलग से सरकारी हॉस्टलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिनमें खाने, रहने की मुफ्त सुविधाएं हो।
6. भूमिहीन ओबीसी लोगों को जमीन आवंटित की जानी चाहिए...

लेकिन ऐसी 40 सिफारिशों में से सिर्फ 2 को ही लागू किया गया।

वी.पी. सिंह भले ही मंडल आयोग की सभी सिफारशें न लागू कर पाए हों। लेकिन उन्होंने 2 सिफारिशें लागू करके भी एक क्रांतिकारी काम किया था। वी.पी. सिंह के भाषण का वह हिस्सा आज भी कई लोगों को याद है, उन्होंने कहा था "हमने मंडल रूपी बच्चा मां के पेट से बाहर निकाल दिया है, अब कोई माई का लाल इसे मां के पेट में नहीं डाल सकता है। यह बच्चा प्रोग्रेस ही करेगा।" मंडल से राजनीति का ग्रामर बदल गया, और एक चेतना डिप्राइव्ड सेक्शन में आई। जो पावर स्ट्रक्चर में नहीं थे, उनमें एक जागरूकता आई। हम समझते हैं, यह जागरूकता व्यक्तिगत पार्टी या व्यक्तिगत लीडर से बड़ी चीज़ आई। हो सकता है कोई एक पिछड़े वर्ग का नेता इलेक्शन हारे या जीते, लेकिन उस पर यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि मंडल सफल हुआ या विफल। क्योंकि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का सोशल कंपोजीशन देखें, तो वह बदल रहा है। पार्टी कोई भी हो, डिप्राइव सेक्शन के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। जिससे डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ का सोशल कंपोजिशन बदल गया है।

मंडल आंदोलन की काट के तौर पर, बीजेपी ने कमंडल का नारा दिया। लालकृष्ण आडवाणी ने बाद में रथयात्रा भी शुरू की। आज ओबीसी के हिंदूकरण में लगी बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण का कड़ा विरोध किया था।

मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के खिलाफ अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चे के अध्यक्ष उज्जवल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उज्जवल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह मामला 9 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले को सही ठहराया। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 49.5% तक कर दी। लेकिन ओबीसी आरक्षण में क्रीमीलेयर सिस्टम लागू कर दिया था।

ओबीसी समाज के लिए आरक्षण का इंतजाम, बाबासाहब अंबेडकर ने संविधान में ही कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संविधान में आर्टिकल-340 का प्रावधान किया। इस आर्टिकल के मुताबिक, सरकार को पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए एक आयोग गठित करने का अधिकार है। संविधान लागू होने के 1 साल अंदर ही

पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना था। लेकिन जब आयोग का गठन नहीं हुआ तो, डॉक्टर अंबेडकर को निराशा हुई। और जब 10 अक्टूबर 1951 को डॉ. अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, तो अपने इस्तीफे में उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग न बनाने की वजह से हुई निराशा का भी जिक्र किया था।

ओबीसी आरक्षण के लिए बाबासाहेब डॉक्टर अंबेडकर से लेकर बी.पी. मंडल तक तमाम बहुजन नेताओं ने लंबा संघर्ष किया। लेकिन आज भी ओबीसी समुदाय अपने नायकों के प्रति उदासीन है। बी.पी. मंडल जैसे महापुरुष को पिछड़ी जातियां उतना सम्मान तक नहीं देतीं, जितना दलित जातियां बाबासाहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम को देती हैं। ऐसे में जरूरत है, कि बहुजन समाज एकजुट हो और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करे। रोटी बेटी का संबंध करे और अपने महापुरुषों का सम्मान करे।

द शुद्र (यूट्यूब चैनल)

(कृपया इसका प्रिंट निकलवा कर पढ़ें और पढ़वाएं)

जय भीम